06/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
28/10/23	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है,जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नही। लेकिन विवादित आराजी के संबध में जारी स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नही बढे। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 09.01.2023 से दोनो पक्षो को विवादित भूमि की मौका की यथास्थिति एवं किसी के कब्जा काश्त मे दंखलदान्जी नही करने बाबत स्थगन आदेश से मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालेसर